

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**आई पी एंड एमसी अनुभाग**

**विषय:** प्रकाशन विभाग के व्यापार नीति दिशानिर्देशों में संशोधनों के संबंध में।

ऊपर वर्णित विषय पर प्रकाशन विभाग के आईडी नोट सं. 4-9/2012-13/समन्वय/बीडब्ल्यू दिनांक 10 जुलाई 2020 का संदर्भ लें।

2. इस मंत्रालय के सम—संख्यक आईडी नोट दिनांक 01.01.2019 के तहत प्रकाशन विभाग के लिए जारी व्यापार नीति दिशानिर्देशों की आंतरिक वित्त प्रभाग के साथ परामर्श से समीक्षा की गई है और निम्नलिखित अनुच्छेदों में तत्काल प्रभाव से संशोधनों के लिए एतदद्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति संप्रेषित की जाती है:-

व्यापार नीति दिशानिर्देश दिनांक 01.01.2019 के अनुरूप अनुच्छेद				संशोधित अनुच्छेद			
<b>अनुच्छेद 4(i)(क): एजेंटों के लिए पुस्तकों के लिए छूट संरचना</b>				<b>अनुच्छेद 4(i)(क): एजेंटों के लिए पुस्तकों के लिए छूट संरचना</b>			
क्रम सं.	मौद्रिक सीमा	अनुमोदित छूट	प्रेषण लागत*	क्रम सं.	मौद्रिक सीमा	अनुमोदित छूट	प्रेषण लागत
1.	रु 10,000 तक	25%	100% एजेंट द्वारा प्रेषण	1.	रु 10,000 तक	25%	100% एजेंट द्वारा प्रेषण
2.	रु 10,001 — रु 2 लाख	35%	प्रेषण लागत प्रकाशन विभाग और एजेंट द्वारा समान रूप से साझा की जानी है	2.	रु 10,001 — रु 2 लाख	35%	प्रेषण प्रकाशन विभाग* द्वारा
3.	रु 2,00,001—रु 5 लाख	40%		3.	रु 2,00,001—रु 5 लाख	40%	
4.	रु 5 लाख से अधिक	45%		4.	रु 5 लाख से अधिक	45%	
प्रेषण लागत एकल गंतव्य के लिए है। एक से अधिक गंतव्य के लिए, लागत पूर्णरूपेण एजेंट/वितरक द्वारा वहन की जानी है।				*प्रेषण लागत एकल गंतव्य के लिए है। यद्यपि, अनेक गंतव्यों के लिए भी प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है ताकि छोटे शहरों को आपूर्ति की जा सके, बशर्ते कि प्रत्येक आपूर्ति का न्यूनतम मूल्य रु 10,000/- है।			

अनुच्छेद 4(ii)(क): एजेंटों के लिए जर्नल्स (मासिक जर्नल) हेतु छूट संरचना		अनुच्छेद 4(ii)(क): एजेंटों के लिए जर्नल्स (मासिक जर्नल) हेतु छूट संरचना	
प्रतियों की संख्या	छूट	प्रतियों की संख्या	छूट
51—250	25%	20—250	25%
251—1000	40%	251—1000	40%
1001 और अधिक	45%	अनेक गंतव्यों के लिए भी प्रेषण की अनुमति दी जाएगी ताकि छोटे शहरों को आपूर्ति भेजी जा सके, यद्यपि प्रत्येक आपूर्ति 51 प्रतियों से कम नहीं होगी। 50 या इससे कम प्रतियों के आर्डर/आपूर्ति के लिए प्रेषण लागत एजेंट/वितरक द्वारा वहन की जाएगी	

अनुच्छेद 4(iii)(क): एजेंटों के लिए एम्प्लॉइमेंट न्यूज़, /रोज़गार समाचार (साप्ताहिक) हेतु छूट संरचना		अनुच्छेद 4(iii)(क): एजेंटों के लिए एम्प्लॉइमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार (साप्ताहिक) हेतु छूट संरचना	
प्रतियों की संख्या	छूट	प्रतियों की संख्या	छूट
501–1000	25%	20–1000	25%
1001–2000	35%	1001–2000	35%
2001 और अधिक	40%	2001 और अधिक	40%
		अनेक गंतव्यों के लिए भी प्रेषण की अनुमति दी जाएगी ताकि छोटे शहरों को आपूर्ति भेजी जा सके, यद्यपि प्रत्येक आपूर्ति 51 प्रतियों से कम नहीं होगी। 50 या इससे कम प्रतियों के आर्डर/आपूर्ति के लिए प्रेषण लागत एजेंट/वितरक द्वारा वहन की जाएगी	

अनुच्छेद 6—एजेंटों के लिए केंडिट और विनियम सुविधा:	नया उप अनुच्छेद 6 (ड):
अनुच्छेद 6 में मौजूदा प्रावधानों के अलावा, एक नया उप—अनुच्छेद 6(ड) शामिल किया जाता है।	जर्नल्स की न्यूनतम 1001 प्रतियों अथवा एम्प्लॉइमेंट न्यूज़, /रोज़गार समाचार की न्यूनतम 1001 प्रतियों के एकल आर्डर पर एजेंटों/वितरक को प्रत्येक तीन महीने में एजेंट/वितरक द्वारा उठाए गए स्टॉक के 5% तक की सीमा तक जर्नल्स एम्प्लॉइमेंट न्यूज़, रोज़गार समाचार सहित) की वापसी की अनुमति प्रदान की जाएगी।

3. इसे आंतरिक वित्त प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की डायरी संख्या 91929 दिनांक 27.08.2020 के तहत प्रदत्त सहमति से जारी किया गया है।

(डी. के. चावला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सुश्री दीपिका कच्छल, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

सू. एवं प्र. म. आईडी नोट सं. एम-28016/3/2017-एफएस/आईपी & एमसी दिनांक 05.11.2020